प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75 लाख दावे निपटाए गए ।

ठेका कामगारों एवं निर्माण कामगारों की कवरेज पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की निर्माण कामगारों एवं ठेका कामगारों संबंधी उप समिति का गठन ।

नई दिल्ली : माह अक्तूबर, 2014 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निष्पादन की समीक्षा श्री के.के. जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा की गई तथा उन्होंने पाया कि अक्तूबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कई प्रकार से ऐतिहासिक माह रहा है । भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16.10.2014 को यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) आरंभ की गई है जिससे सदस्यों के भविष्य निधि खातों की पोर्टेबिलिटी में सुविधा होगी । माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "श्रम सुविधा पोर्टल" का आरंभ भी किया गया जिससे उद्देश्यपरक एवं प्रणाली संचालित निरीक्षण व्यवस्था कायम होगी । पोर्टल को परिचालन में लाया गया है एवं निरीक्षण नोटिस बनाए जा रहे है तथा निरीक्षण रिपोर्टें अपलोड की गई हैं ।

यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई पर माह में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विचार-विमर्श एवं चर्चा की गई जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी आंचलिक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपस्थित थे । एक से अधिक यूनिवर्सल खाता संख्या का कारण बनने वाले दोहरे के.वाई.सी. रिकॉर्ड हटाने, नए सदस्यों को यू.ए.एन. आबंटित करने, ऐसे व्यक्तियों के लिए यू.ए.एन. सुविधा जो वर्तमान में नियोजित नहीं हैं, यूनिवर्सल खाता संख्या के बेहतर प्रसार, आधार पंजीकरण एजेंसियों की भागीदारी आदि जैसे मामलों पर चर्चा की गई एवं निदेश जारी किए गए ।

ठेका तथा निर्माण कामगारों को अधिनियम एवं योजनाओं के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से माह के दौरान, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की दो उप समितियों का गठन किया गया जिसमें से एक निर्माण कामगारों से संबंधित है तथा दूसरी ठेका कामगारों से संबंधित है । यह समितियां निर्माण उद्योग के कामगारों के नामांकन की विधि एवं तंत्र की देख-रेख के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में ठेके पर कार्यरत कामगारों के कवरेज अंतर को कम करने का कार्य करेंगी । इससे पहले, अंचलों के अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को ठेका कामगारों की कवरेज के मामले के संबंध में अपने संबंधित राज्यों के श्रम आयुक्तों से मिलने के निदेश दिए जा चुके हैं । ऐसे ठेका कामगारों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जो सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किन्तु किसी तरह के भविष्य निधि लाभ से वंचित हैं ।

अक्तूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय कामगारों को उनके विदेशी बैंक खातों में आवधिक लाभ प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक औपचारिक समझौता किया है ।

अपने महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बेहतर प्रदर्शन जारी है तथा इस परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा माह के अंत तक 75 लाख से अधिक दावों का निपटान किया गया । इसमें से 97.56% दावों का निपटान 30 दिन की अनिवार्य सीमा के भीतर किया गया । हाल ही में संगठन की गति एवं मुस्तैदी का पता इस बात से चलता है कि 69% दावों को उनकी प्राप्ति के 10 दिन के भीतर निपटाया गया । साथ ही, समेकन के लिए देय 98% से अधिक वार्षिक लेखों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अक्तूबर माह के अंत तक अद्यतन किया गया तथा माह के दौरान 13,500 शिकायतों का निपटान किया गया । साथ ही, अक्तूबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रेषित धन के रूप में 7409 करोड़ रु. प्राप्त किए गए ।